

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(ख)(1)पदस्थापन/अलेसे-1/2623

दिनांक:- 01/03/2019

शुद्धि-पत्र

इस विभाग के पूर्व में जारी आदेशों में निम्नानुसार संशोधन/शुद्धिकरण किया जाता है:-

1. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 06 पर वर्णित श्री अशोक कुमार वर्मा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9086) का नाम विलोपित किया जाता है।
2. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 16 पर वर्णित श्री चुन्नी लाल सांखला, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 979) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित "जिला आयुर्वेद अधिकारी, चुरू" के स्थान पर "जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चुरू (नव सृजित पद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1)" पढ़ा जावे।
3. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 36 पर वर्णित श्री छीतरमल मीना, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4538) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित "महानिरीक्षक, आर.ए.सी., जयपुर" के स्थान पर "जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर (नव सृजित पद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1)" पढ़ा जावे।
4. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 38 पर वर्णित श्री महेश कुमार अग्रवाल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4686) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित कार्यालय "कमाण्डेन्ट, आरएसी चतुर्थ बटालियन, जयपुर" के स्थान पर "शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" पढ़ा जावे।
5. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 56 पर वर्णित श्री ओमप्रकाश गुप्ता, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4686) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित कार्यालय "मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर्स, विभाग, जयपुर" के स्थान पर "उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर" पढ़ा जावे।
6. विभागीय आदेश संख्या 351/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 75 पर वर्णित श्री रमेश कुमार बिहानी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 1336) के कॉलम संख्या 5 पर अंकित कार्यालय "उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, श्रीगंगानगर (आं.जां. दल)" पढ़ा जावे।
7. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 7 पर वर्णित श्री मनोहर सिंह मणिधर, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4954) के कॉलम संख्या 5 (वर्तमान पदस्थापन) पर अंकित "कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डीडवाना, नागौर" के स्थान पर "कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर, नागौर" पढ़ा जावे।
8. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 14 पर वर्णित श्री कैलाश चंद चौहान, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4199) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर" के स्थान पर "महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर" पढ़ा जावे।
9. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 27 पर वर्णित श्री अभिषेक गोधा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9653) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा" के स्थान पर "गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा" पढ़ा जावे।
10. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 33 पर वर्णित श्री भरत कुमार धारू, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9106) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "उपकोषालय, सिवाना (बाडमेर)" के स्थान पर "पंचायत समिति, बालोतरा (बाडमेर)" पढ़ा जावे।
11. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 36 पर वर्णित श्री यश कुमार जोरम, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9135) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "उपकोषालय, सेडवा (बाडमेर)" के स्थान पर "मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर" पढ़ा जावे।
12. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 52 पर वर्णित श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9145) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा" के स्थान पर "अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत्त द्वितीय भीलवाड़ा" पढ़ा जावे।

102

13. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 55 पर वर्णित श्री बृजरतन ओझा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4923) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "जिला आयुर्वेद विभाग, बीकानेर" के स्थान पर "जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) बीकानेर" पढ़ा जावे।
14. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 60 पर वर्णित श्री भंवर लाल नेहरा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4912) का नाम विलोपित किया जाता है।
15. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 65 पर वर्णित श्री प्रवेश कुमार शर्मा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4738) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "निरीक्षण विभाग भौतिक सत्यापन दल, बीकानेर" के स्थान पर "आयुक्त, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक) बीकानेर" पढ़ा जावे।
16. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 68 पर वर्णित श्री संदीप पण्डिया, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9358) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर(आं.जांच दल) के स्थान पर "राजकीय पीजी डूंगर महाविद्यालय (छात्र) बीकानेर " पढ़ा जावे।
17. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 75 पर वर्णित श्री जोगेन्द्र सिंह सारण, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9313) का नाम विलोपित किया जाता है।
18. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 82 पर वर्णित श्री महावीर प्रसाद मोदी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4828) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर (आ.जां.दल)" के स्थान पर "जिला आयुर्वेद विभाग, बीकानेर" पढ़ा जावे।
19. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 90 पर वर्णित श्री कृष्ण गोपाल आचार्य, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9574) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित कार्यालय "प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्रा), चूरू" के स्थान पर "वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदास सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, चूरू" पढ़ा जावे।
20. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 106 पर वर्णित श्री मनोज बंशीवाल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9645) का नाम विलोपित किया जाता है।
21. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 117 पर वर्णित श्री हरिराम मीणा, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9103) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "राजकीय पीजी महाविद्यालय, (छात्र) चिमनपुरा (जयपुर)" के स्थान पर "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी (जयपुर)" पढ़ा जावे।
22. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 127 पर वर्णित श्री प्रमोदपति तिवाड़ी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9375) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "राजकीय पीजी महाविद्यालय, (छात्र) सांभरलेक (जयपुर)" के स्थान पर "वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0 जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर " पढ़ा जावे।
23. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 129 पर वर्णित श्री दीपक तिवाड़ी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9378) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, दूदू (जयपुर)" के स्थान पर "वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0 जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर" पढ़ा जावे।
24. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 132 पर वर्णित श्री कमल भारद्वाज, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9385) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "विकास अधिकारी पंचायत समिति, शाहपुरा (जयपुर)" के स्थान पर "निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर" पढ़ा जावे।
25. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 172 पर वर्णित श्री दिनेश कुमार, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9520) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "उपकोषालय, मण्डरायल, करौली" के स्थान पर "जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) करौली (नव सृजित पद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1)" पढ़ा जावे।
26. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 183 के कॉलम संख्या 4 पर वर्णित नाम "श्री मुकेश टॉक" के स्थान पर "नवनीत रांकावत (9453)" पढ़ा जावे।
27. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 184 पर वर्णित श्री परमेश्वर लाल भादो, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4725) के कॉलम संख्या 5 (वर्तमान पदस्थापन) पर अंकित "कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परबतसर, नागौर" के स्थान पर "कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि, मेड़ता, नागौर" पढ़ा जावे।

28. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 189 पर वर्णित श्री जगदीश त्रिवेदी, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 4085) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित " निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, पाली (आं.जां.दल)" के स्थान पर " प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर (पाली)" पढ़ा जावे।
29. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 199 पर वर्णित श्री राकेश कुमार, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9124) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अरनोद, प्रतापगढ़" के स्थान पर "विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संगरिया, हनुमानगढ़" पढ़ा जावे।
30. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 200 पर वर्णित श्री मनोहर लाल मेघवाल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9095) का नाम विलोपित किया जाता है।
31. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 209 पर वर्णित श्री ओमप्रकाश, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 3723) का नाम विलोपित किया जाता है।
32. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 219 पर वर्णित श्री सुभाष चन्द, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 5510) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "कार्यालय पंचायत समिति, श्रीगंगानगर" के स्थान पर "निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, श्रीगंगानगर" पढ़ा जावे।
33. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 221 पर वर्णित श्री राजीव बंसल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9177) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "वाणिज्यिक कर अधिकारी (वृत्त-वर्क्स एवं लिजिंग टेक्स), श्रीगंगानगर" के स्थान पर " राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र) श्रीगंगानगर" पढ़ा जावे।
34. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 220 पर वर्णित श्री मोहित विज, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9533) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित " राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्र) श्रीगंगानगर " के स्थान पर "जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के नव सृजित पद पर)" पढ़ा जावे।
35. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 230 के कॉलम संख्या 4 पर वर्णित नाम "श्री रमेश चन्द मीणा(9143)" के स्थान पर "श्री चन्द्रशेखर तिवाडी (4446)" पढ़ा जावे।
36. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 237 पर वर्णित श्री छोगा लाल सुथार, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9569) का नाम विलोपित किया जाता है।
37. विभागीय आदेश संख्या 352/2018-19 दिनांक 25.02.2019 के क्र.सं. 238 पर वर्णित श्री सतीश चांगवाल, स.ले.अ. ग्रेड-1 (लिंक नं. 9177) के कॉलम संख्या 6 पर अंकित "उपकोषालय लसाडिया (उदयपुर)(अनुसूचित क्षेत्र)" के स्थान पर "राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर" पढ़ा जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ख)(1)पदस्थापन/अलेसे-1/2623

दिनांक:-01/03/2019

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 2 विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष
- 3 कोषाधिकारी
- 4 श्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय
..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यगहन कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें।
- 5 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I/II/III) कार्यालय हाजा।
- 6 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- 7 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 8 निजी पत्रावली / रक्षित पंजिका।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.

Eleventh block of faint, illegible text.

Twelfth block of faint, illegible text.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.